श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 14.12.2017 को मुजफ्फरपुर समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के समागार में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली एवं शिवहर की आयोजित जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति : यथा पंजी संधारित ।

1. सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार/माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ मुख्य सचिव महोदय/पुलिस महानिदेशक महोदय/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी माननीय सांसद/सभी माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा/माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद/सभी सदस्यगण एवं उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया गया तथा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के निदेशानुसार जिले में विकास कार्यो के कार्यान्वयन की उपलब्धि एवं प्रगति से अवगत कराया गया।

   माननीय मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा जानकारी दी गई कि सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय कार्यक्रम की प्रगति एवं उपलब्धि की समीक्षा की जाएगी। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि सात निश्चय कार्यक्रम में कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाईयों एवं त्रुटियों का ससमय समाधान भी कराया जाएगा। साथ ही विभागवार समीक्षा प्रारंभ की गई।

2. **<u>आर्थिक हल युवाओं को बल :-</u>**

(क) **मुजफ्फरपुर-**

(i) **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** – जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत कुल 1083 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कराये गये हैं, जिनमें से 1051 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा 20 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं। कुल 952 आवेदन बैंकों को प्रषित कर दिया गया है तथा कुल 582 आवेदनों की स्वीकृति बैंको के द्वारा दे दिया गया है तथा कुल 323 आवेदकों को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करा दिया गया है।

(ii) **मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना** – जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय भत्ता योजनान्तर्गत कुल 8737 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कये गये हैं, जिनमें से कुल 5929 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा कुल 2715 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। यह भी बताया गया कि कुल 5620 युवा स्वंय सहायता भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) कुशल युवा कार्यक्रम – जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कुल 13729 आवेदन निबंधित किये गये हैं। इनमें से कुल 13515 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है तथा 64 आवेदनों को किसी न किसी कारणवश अस्वीकृत किया गया है। कुल 3569 युवा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा कुल 7361 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(iv) कौशल विकास केन्द्र – जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इस जिले में कुल 16 प्रखण्डों में 13 सरकारी तथा 42 निजी भवनों में कुल मिलाकर 55 कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

(ख) सीतामढ़ी–

(i) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – जिलाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत कुल 533 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कराये गये हैं, जिनमें से 525 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा 8 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं। कुल 492 आवेदन बैंकों को प्रषित कर दिया गया है कुल 366 आवेदनों की स्वीकृति बैंकों के द्वारा दे दिया गया है कुल 193 आवेदकों को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि छात्रों से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर इसमें और अधिक प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना – जिलाधिकारी, सीमामढ़ी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय भत्ता योजनान्तर्गत कुल 5644 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कये गये हैं, जिनमें से कुल 4136 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा कुल 1508 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। यह भी बताया गया कि कुल 3816 युवा स्वंय सहायता भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) कुशल युवा कार्यक्रम – जिलाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत् जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कुल 16509 आवेदन निबंधित किये गये हैं। इनमें से कुल 6503 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है, एवं 6 आवेदनों को किसी न किसी कारणवश अस्वीकृत किया गया है। कुल 2674 युवा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। कुल 2476 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(iv) कौशल विकास केन्द्र – जिलाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा बताया गया कि इस जिले में कुल 17 प्रखण्डों में 17 सरकारी तथा 19 निजी भवनों में कुल मिलाकर 36 कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

(ग) वैशाली–

(i) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना – जिलाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत कुल 632 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कराये गये हैं, जिनमें से 618 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा 14 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं।

कुल [illegible] आवेदन बैंकों [illegible] आवेदन [illegible] स्वीकृति बैंक [illegible]
दिया गया है, कुल 240 [illegible] दिया गया है।

(ii) **मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना** – जिलाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय भत्ता योजनान्तर्गत कुल 8403 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कये गये हैं, जिनमें से कुल 6209 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा कुल 2194 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। यह भी बताया गया कि कुल 6070 युवा स्वंय सहायता भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) **कुशल युवा कार्यक्रम** – जिलाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत् जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कुल 13506 आवेदन निबंधित किये गये हैं। इनमें से कुल 13478 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है तथा 24 आवेदनों को किसी न किसी कारणवश अस्वीकृत किया गया है। कुल 4001 युवा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं तथा कुल 8418 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(iv) **कौशल विकास केन्द्र** – जिलाधिकारी, वैशाली द्वारा बताया गया कि इस जिले में कुल 6 प्रखण्डों में 15 सरकारी तथा 38 निजी भवनों में कुल मिलाकर 53 कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

(घ) **शिवहर–**

(i) **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना** – जिलाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत कुल 83 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कराये गये हैं, जिनमें से 82 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा 1 आवेदन अस्वीकृत किये गये हैं। कुल 77 आवेदन बैंकों को प्रषित कर दिया गया है, कुल 54 आवेदनों की स्वीकृति बैंकों के द्वारा दे दिया गया है, कुल 36 आवेदकों को बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध करा दिया गया है। निदेश दिया गया कि छात्रों से दूरभाष पर सम्पर्क स्थापित कर इसमें और अधिक प्रगति लाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) **मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना** – जिलाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय भत्ता योजनान्तर्गत कुल 4805 आवेदन जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर निबंधित कये गये हैं, जिनमें से कुल 4263 आवेदन को स्वीकृत किया गया है तथा कुल 542 आवेदनों को अस्वीकृत किया गया है। यह भी बताया गया कि कुल 4080 युवा स्वंय सहायता भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।

(iii) **कुशल युवा कार्यक्रम** – जिलाधिकारी, शिवहर द्वारा बताया गया कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत् जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर कुल 2172 आवेदन निबंधित किये गये हैं। इनमें से कुल 2162 आवेदनों को स्वीकृत किया गया है तथा 10 आवेदनों को किसी न किसी कारणवश अस्वीकृत किया गया है। कुल 618 युवा वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहें हैं तथा कुल 1154 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

(iv) कौशल विकास केन्द्र [illegible] द्वारा बताया गया कि [illegible] में 5 सरकारी तथा 2 निजी भवनों में कुल मिलाकर 7 कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

(ड.) प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा जानकारी दी गई कि प्रथम चरण में प्रखण्ड मुख्यालय अथवा बाजार वाले क्षेत्रों में कौशल विकास केन्द्रों का अधिष्ठापन कराया गया है। द्वितीय चरण में नये 250 कौशल विकास केन्द्रों के अधिष्ठापन की स्वीकृति मिल गई है ।

3. <u>निःशुल्क वाई–फाई की सुविधा :–</u>

(i) सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले में एक विश्वविद्यालय में कुल 15 निःशुल्क वाई–फाई का अधिष्ठापन किया गया है जिनमें में से कुल 3 संचालित हैं। इसी प्रकार कुल 15 महाविद्यालयों में से 15 निःशुल्क वाई–फाई अधिष्ठापित किया गया है जिनमें मे 9 वर्तमान में संचालित हैं। यह भी बताया गया कि धनौर के जंगबहादुर कॉलेज में बाढ़ के कारण वाई–फाई का उपकरण नष्ट हो गया था। वर्तमान में वाई–फाई के युजर की संख्या काफी कम है। मुजफ्फरपुर के एम0डी0डी0एम0 कॉलेज में वाई–फाई का उपयोग हो रहा है। निदेश दिया गया कि लंगट सिंह कॉलेज एवं महेश प्रसाद सिंह साईस कॉलेज में शीघ्र ही वाई–फाई की सुविधा का उपयोग करने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।

(ii) सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि वैशाली जिले में कुल 7 महाविद्यालयों में वाई–फाई अधिष्ठापित एवं संचालित भी हैं।

(iii) सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि सीतामढ़ी जिले में कुल 5 महाविद्यालयों में से सभी जगह वाई–फाई अधिष्ठापित हैं तथा संचालित भी हैं।

(iv) सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि शिवहर जिले में कोई भी सरकारी कॉलेज नहीं है।

समीक्षा मे यह बात प्रकाश में आई कि कई जगह पॉवर की समस्या के कारण वाई–फाई संचालित नहीं हो पा रहे हैं। निदेश दिया गया कि संबंधित जिलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पॉवर की समस्या का समाधान कराते हुए सभी महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयो में समन्वय कर निःशुल्क वाई–फाई का संचालन कराना सुनिश्चित करें तथा उसका व्यापक उपयोग भी सुनश्चित कराने के लिए आवश्यक पहल की जाए ।

4. <u>हर घर बिजली लगातार :–</u>

(i) प्रधान सचिव उर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर में कुल 1719 गांवों की संख्या है जिसमें से 1695 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है तथा शेष 24 गांव विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। इन शेष गांवों में दिनांक 25.12.2017 तक विद्युतीकरण का कार्य कर दिया जाएगा।

(ii) [illegible] के द्वारा बताया गया कि [illegible] में 835, सीतामढ़ी में 1429 तथा शिवहर में 18 टोले विद्युतीकरण हेतु शेष हैं। यह भी बताया गया कि इन टोलों को अप्रैल–मई 2018 तक विद्युतीकृत कर लिया जाएगा।

(iii) प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि इन चार जिलों में जितने भी जर्जर तार हैं उसको बदलने हेतु कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है तथा निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। जनवरी 2018 तक कार्य को प्रारंभ करते हुए आगामी दो साल में सभी जर्जर तार को बदल दिया जाएगा।

5. घर तक पक्की गली नलियाँ :–

(i) सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि इन चार जिले में सभी वार्डों में क्रियान्वयन एवं प्रबधन समिति का गठन कर लिया गया है। यह भी बताया गया कि वैशाली जिला में बैंक खाते मे राशि हस्तांतरण की गति थोड़ी धीमी है तथा इस महीने उसमें भी प्रगति आ जाएगी।

(ii) सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के 54 वार्ड, वैशाली के 3, सीतामढ़ी के 5 तथा शिवहर के 2 वार्डों में पक्की गली नलियां के कार्य को पूर्ण करा लिया गया है।

(iii) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में मुजफ्फरपुर जिले में कुल 59, वैशाली में कुल 45, सीतामढ़ी में कुल 21 तथा शिवहर में कुल 2 वार्डों में पक्की गली नलियां योजना का कार्य पूर्ण करा लिया गया है।
यह भी बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के कुल 91 वार्डों में से 76, वैशाली के कुल 97 वार्डों में से 76, सीतामढ़ी के कुल 84 वार्डों में से 40 तथा शिवहर के कुल 15 वार्डों में से 2 वार्ड में योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारंभ कर दिया गया है।

6. हर घर नल का जल :–

(i) प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर नगर परिषद में बिहार राज्य जल पर्षद के माध्यम से हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया गया है। लालगंज के 19 वार्डों में निविदा प्रकाशित करा दिया गया है। यह भी बताया गया कि महुआ प्रखण्ड के कुल 16 वार्डों में से 3 का निविदा प्रकाशित किया गया है तथा 13 वार्ड का प्राक्कलन बनाया जा रहा है।
बताया गया कि शिवहर के 15 वार्ड में से 13 का निविदा प्रकाशित करा दिया गया है। साथ ही दो वार्ड में नगर निकाय के द्वारा कार्य किया जा रहा है।
बताया गया कि सीतामढ़ी नगर परिषद के सभी 28 वार्ड में बिहार राज्य जल पर्षद के द्वारा कार्य किया जा रहा है। बैरगनियां के सभी 21 वार्ड में नगर निकाय के द्वारा योजनाओं का कार्यान्वयन

[illegible] है। [illegible] दी गई है [illegible] बलराड [illegible] 13 [illegible] है तथा [illegible] का पुनर्निविदा किया जा रहा है

(ii) सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के कुल 9, वैशाली के कुल 3, सीतामढ़ी के कुल 5 एवं शिवहर के कुल 2 ग्रामीण वार्डों में हर घर नल का जल योजना का कार्यान्वयन करा लिया गया है।

(iii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही हर घर नल का जल योजनाओं की प्रगति के बारे में सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंण विभाग, बिहार पटना के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले में कुल 589 वार्ड गैर गुणवत्ता प्रभावित हैं एवं 378 वार्ड में कार्य प्रारंभ किया गया है तथा अब तक कुल 32 वार्डों में कार्य पूर्ण करा लिया गया है। उसी प्रकार वैशाली जिला में कुल 171 वार्ड गुणवत्ता प्रमावित हैं तथा 360 वार्ड गैर–गुणवत्ता प्रभावित हैं। यह भी बताया गया कि एक सप्ताह के भीतर 70 वार्डों में कार्य प्रारंभ करा दिया जाएगा।

बताया गया कि सीतामढ़ी जिले के कुल 4 वार्ड गुणवत्ता प्रभावित हैं तथा कुल 653 वार्ड गैर गुणवत्ता प्रभावित हैं। कुल मिलाकर 197 वार्डों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया ळै तथा 98 वार्ड को आंशिक रूप से पूर्ण करा लिया गया है।

शिवहर जिला में कुल 228 वार्ड गैर–गुणवत्ता प्रभावित हैं तथा 80 वार्ड में कार्य प्रारंभ कराते हुए 24 वार्ड में कार्य को पूर्ण करा लिया गया है।

सभी जिलों को लक्ष्य के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निदेश दिया गया ।

7. **<u>ग्राम टोला सम्पर्क निश्चय योजना (ग्रामीण कार्य विभाग) :–</u>**

(i) सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले के कुल वसावटों की संख्या 39 में से 18 वसावटों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है जिसमें कुल 12.853 किलोमीटर पथ आच्छादित हो रहे हैं।

वैशाली जिले के कुल वसावटों की संख्या 78 में से 33 वसावटों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है जिसमें कुल 23.180 किलोमीटर पथ आच्छादित हो रहे हैं। जिलाधिकारी वैशाली के द्वारा बताया गया कि कुछ जगहों पर जमीन की समस्या है। तीन जगह सतत् लीज पर जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की जा रही है।

सीतामढ़ी जिले के कुल वसावटों की संख्या 194 में से 26 वसावटों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है जिसमें कुल 15.060 किलोमीटर पथ आच्छादित हो रहे हैं।

इसी प्रकार शिवहर जिले के कुल वसावटों की संख्या 8 में से 8 वसावटों में कार्य प्रारंभ करा दिया गया है जिसमें कुल 8.600 किलोमीटर पथ आच्छादित हो रहे हैं।

8. **शौचालय निर्माण घर का सम्मान <u>(ग्रामीण विकास / नगर विकास एवं आवास विभाग)</u>**

(i) [illegible] विभाग, बिहार [illegible] मुजफ्फरपुर जिले में कुल [illegible] पंचायतों में से कुल 14 पंचायत को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित कर दिया गया है।

(ii) बताया गया कि वैशाली जिले के कुल 288 पंचायतों में से कुल 16 को खुले में शौच मुक्त (ODF) करा दिया गया है।

(iii) बताया गया कि सीतामढ़ी जिले के कुल 269 पचायतों मे से कुल 17 को खुले में शौच मुक्त (ODF) करा दिया गया है।

(iv) बताया गया कि शिवहर जिले के कुल 54 पंचायतों में से कुल 5 को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित करा दिया गया है।

9. अवसर बढ़े, आगे बढ़े –

(i) **<u>प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. स्कूल की स्थापना</u> :–** मुजफ्फरपुर जिले में एस.के.एम.सी.एच. में पूर्व से एक जी.एन.एम. स्कूल कार्यरत है। साथ ही शेष तीन जिलों में एक–एक प्रस्तावित हैं

(ii) **<u>प्रत्येक जिला में पारा–मेडिकल संस्थान की स्थापना</u> :–** मुजफ्फरपुर जिले में पूर्व से एस.के.एम.सी. एच. में एक पारा–मेडिकल संस्थान कार्यरत है। साथ ही शिवहर जिले में एक पारा मेडिकल संस्थान निर्माणाधीन है।

(iii) समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि शिवहर जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना किया जाना हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि भूमि को सतत् लीज के तहत लेने हेतु प्रस्ताव तैयार कर विभाग को भेज दिया गया है तथा जमीन का सीमांकन भी करा दिया गया है।

10. लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम –

(i) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत सबसे अच्छी प्रगति मुजफ्फरपुर जिला का है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर 99 प्रतिशत आवेदनों को निष्पादित कराया गया है। उसी प्रकार वैशाली का 85 प्रतिशत एवं सीतामढ़ी का 84 प्रतिशत प्रगति है।

(ii) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर में कुल दायर 47602 अपीलों में से 44715 अपीलों का निष्पादन करा लिया गया है तथा कुल 56 पदाधिकारियों को दंडित किया गया है। साथ ही दंड अधिरोपरण की कुल राशि 467830 रूपये में से कुल 156000 रूपये की वसूली की गई है।

वैशाली में कुल दायर 38627 अपीलों में से 37486अपीलों का निष्पादन करा लिया गया है तथा कुल 19 पदाधिकारियों को दंडित किया गया है। साथ ही दंड अधिरोपरण की कुल राशि 205750 रूपये में से कुल 190750 रूपये की वसूली की गई है।

[illegible] अपील [illegible] है तथा कुल 43 पदाधिकारियों को दंडित किया गया है। साथ ही दंड अधिरोपण की कुल राशि 337500 रूपये में से कुल [illegible]500 रूपये की वसूली की गई है।

- शिवहर में कुल दायर 24520 अपीलों में से 24520 अपीलों का निष्पादन करा लिया गया है तथा कुल 9 पदाधिकारियों को दंडित किया गया है। साथ ही दंड अधिरोपण की कुल राशि 22500 रूपये में से कुल 7000 रूपये की वसूली की गई है।

  लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदनों के ससमय निष्पादन नहीं करने के संबंध में संबंधित पदाधिकारियों के विरूद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए दंड अधिरोपित करने एवं प्रपत्र 'क' गठित कर संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

(iii) प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि तत्काल सेवाओं में शिवहर जिला के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। साथ ही अन्य जिलों के द्वारा भी दाखिल–खारिज एवं भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र निर्गत करने में सराहनीय कार्य किया गया है।

(iv) सभी जिलाधिकारियो को निदेश दिया गया कि आर0टी0पी0एस0 कॉउन्टर पर राशन कार्ड निर्माण हेतु प्राप्त आवेदनों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सम्यक निदान करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(v) सभी जिलाधिकारियो को निदेश दिया गया कि खाद्य एवं आपूर्ति के अन्तर्गत पूर्व से शामिल अयोग्य लाभुकों को जांच कर शीघ्र हटाते हुए नियमानुसार नये लोगों को जोड़ने की कार्रवाई की जाए।

(vi) माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत पेंशन राशि के भुगातन के क्रम में कई ग्राहक सेवा केन्द्रों के संचालकों के द्वारा पूरी राशि पर हस्ताक्षर कराकर कम राशि ही पेंशनधारियो को उपलब्ध कराने की सूचना प्राप्त हो रही है।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से वरीय पदाधिकारियों/पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से इसकी नियमित जांच करायें और ऐसे ग्राहक सेवा केन्द्र संचालकों के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करें। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि सभी ग्राम सेवा केन्द्रों पर सी0सी0टी0भी0 कैमरा लगाने की कार्रवाई हेतु पहल की जाए।

बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधियों से अनुरोध किया गया कि वे भी अपने स्तर से ग्राहक सेवा केन्द्रों की नियमित निरीक्षण/जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को सूचना उपलब्ध कराया जाए।

11. **धान अधिप्राप्ति –**

(i) प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना के द्वारा बताया गया कि इन चार जिलों में धान अधिप्राप्ति का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। यह भी बताया गया कि भारत सरकार से प्राप्त नया दिशा–निर्देश के आलोक में 19 प्रतिशत नमी तक धान का भी क्रय किया जा सकता है। बिहार के हर पैक्स को भारत सरकार से प्राप्त अद्यतन दिशा–निर्देश की प्रति उपलब्ध करा दी गई है।

(ii) [illegible] बैठक [illegible] सभी राइस मिलों को पक्स के साथ शीघ्र सम्बद्ध कर [illegible] राइस मिलों [illegible] निरीक्षण [illegible] सभी उपकरणों की [illegible]

12. **माननीय सांसद, विधान परिषद सदस्यों/विधान सभा सदस्यों, महापौर एवं जिला परिषद अध्यक्ष द्वारा दिये गये सुझाव –**

समीक्षा के क्रम में गत बैठको मे जन प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये सुझाव एवं उठायी गई समस्याओं के निराकरण के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित अनुपालन की अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन सभी जन प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया गया है और उनसे अनुरोध किया गया कि अनुपालन की स्थिति देख लें और यदि उसमें कोई कमी रह गई है या अनुपालन में किसी स्तर पर सुधार की आवश्यकता हो तो इसके संबध मे अवगत करायेंगे।

(क) श्री अशोक कुमार सिंह, माननीय विधायक, पारू –

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि कई पंचायतों में ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70–80 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और उनके उंगलियों के निशान घिस जाने एवं कई लोगों के उंगली कट जाने के कारण आधार कार्ड निर्माण में कठिनाई आ रही है, जिसके कारण उन्हें पेंशन की राशि से वंचित होने की संभावना है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष ध्यान दें। यह भी अवतग कराया गया कि कई माह से कई पेंशनधारियों को पेंशन राशि का भुगतान उनके खाते में नहीं हो पाया है।

प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा जानकारी दी गई कि वर्तमान में पेंशन राशि के भुगतान हेतु आधार को अनिवार्य नहीं किया गया है। पेंशन की राशि का भुगतान खाते में किया जा रहा है। यदि किसी अन्य कारणों से किसी लाभुकों का भुगतान नहीं हो पा रहा है तो इसके संबंध में जिलाधिकारी को सूचना दिया जाए।

मुख्यमंत्री के सचिव के द्वारा बताया गया कि कई सारे जगहों पर ऐसी शिकायत प्राप्त हा रही है कि लगभग 10–15 महीनों से कई लाभुकों के पेंशन भुगतान में कठिनाई आ रही है। ऐसे सभी लाभुको के संबंध में सभी प्रकार की सूचना/दस्तावेज प्रखण्डों में उपलब्ध हैं। उपलब्ध अभिलेख के आधार ऐसे लाभुकों का सत्यापन कर विधिवत् पेंशन भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) पश्चिम अनुमंडल का एक मात्र रेफरल अस्पताल, सरैया जो करोड़ो के लागत से भवन बनकर तैयार है को चालू कराने के संबंध में ।

(iii) सरैया एवं पारू प्रखंड के लगभग सभी बंद पड़े नलकूप को चालू कराने के संबंध में ।

(iv) ग्रामीण कार्य विभाग के पथों को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर कार्य को पूरा कराने के संबंध में ।

(क) R.C.D .पथ बड़का गॉव ढाला से NH-102 पोखरैरा होते हुए साईन जतकौली R.C.D पथ ।

(ख) NH-102 करजा से लक्ष्मीपुर होते हुए वहिलवाडा R.C.D पथ ।

(ग) NH- 102 सहदानी पुल से कमलपुरा PNB चौक होते हुए कुबैली ढाला तक भाया फन्दा ।

[illegible] विद्युत विभाग [illegible] विद्युत [illegible] के संबंध में

[illegible] विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खेल का मैदान [illegible] के संबंध में

(ख) **श्रीमती डा० रंजु गीता, माननीय विधायक, बाजपट्टी –**

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके जिले में भी वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान काफी विलंब से चल रहा है। साथ ही लाभुकों का बैंक खाता एकत्र करने एवं आधार कार्ड एकत्र करने में समस्या आ रही है।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत इनरगो तथा गोदरेज कंपनी के द्वारा विद्युतीकरण का कार्य कराया जा रहा है। संबंधित कंपनियों के द्वारा मनमाने ढंग से सर्वे कराकर गलत सूची तैयार कर ली गयी है। इस संबंध में प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार से शिकायत किये जाने पर उनके द्वारा संबधित कंपनियों को तीन बार बैठक में बुलाया गया, लेकिन उनकी बैठक में संबंधित विद्युत कंपनी उपस्थित नहीं हुए। इस समस्या का समाधान के लिए माननीय विधायक द्वारा अनुरोध किया गया ।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बंगराहा गांव में अवस्थित एप्रोन नदी पर बराज का निर्माण कराने का प्रस्ताव दिया गया ताकि 15 पंचायतों के लोगों को आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके। इस बराज के बन जाने से तीन–चार विधान सभा के किसानों को पटवन में सुविधा होगी।

(iv) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि रसूलपुर–गाढ़ा रोड का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इसे पूरा कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(v) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि सात निश्चय के,.अंतर्गत हर घर नल का जल योजना में पानी की टंकी बना हुआ है परंतु उसे अभी तक कार्यशील नहीं कराया गया है।

(vi) सीतामढ़ी जिला में वर्ष 2017 में आये प्रलयकारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल–पुलियों की मरम्मती/जिर्णोद्धार के लिए अनुरोध किया गया ।

(क) बाजपट्टी प्रखंड के ग्राम–रसलपुर–बाजपट्टी पथ का निर्माण ।

(ख) पथ निर्माण विभाग की सड़क बाजपट्टी कुम्मा पथ का निर्माण ।

(vii) सीतामढी जिलान्तर्गत प्रखंड बाजपट्टी प्रखंड के पुपरी–सोनबरसा के अधवारा नदी पर बांध के निर्माण की स्वीकृति का अनुरोध किया गया ।

(viii) सीतामढ़ी जिलान्तर्गत नारायणपुर (पुपरी) पिपराढ़ी–सुपिलगाढ़ा–निमाही–पचड़ा, मधुरापुर–संढवारा बांध–उासी बाबा पुल, मधुबन बाजार–मधुबन गोट–बसहा चौक पकड़ी–कोड़ियाही–बसहा को ग्रामीण कार्य विभाग की सड़क को पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहित कर उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल निर्माण की स्वीकृति के संबंध में ।

(ix) सीतामढ़ी जिलान्तर्गत [illegible] के पंचायत [illegible] नदी पर [illegible] पुल [illegible] के साथ उच्च स्तरीय आर.सी.सी. पुल [illegible] निर्माण की स्वीकृति देने के संबंध में ।

(X) सीतामढ़ी जिलान्तर्गत भारी वर्षा एवं नेपाल के पानी के कारण आये प्रलयकारी बाढ़ से ध्वस्त जमुनिया / जमींदारी बांध के जीर्णोद्धार की स्वीकृति के संबंध में ।

(ग) श्री महेश्वर प्रसाद यादव, माननीय विधायक, गायघाट –

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 11 स्थानों पर पुल–पुलियों के निर्माण कराने की आवश्यक है। इसकी स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र में 13 ऐसे सड़क हैं, जिसे कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है। अनुरोध किया गया कि इन पथों को कोर नेटरवर्क में शामिल करते हुए निर्माण कराने हेतु संबंधित विभाग को निदेश दिया जाय।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि गायघाट विधान सभा क्षेत्र में ऐसे कई सड़क हैं जो एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को जोड़ता है। इन पथों के रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

(iv) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उच्च विद्यालयों के प्रबंध कार्यकारिणी समिति के स्थानीय विधायक अध्यक्ष होते हैं। परन्तु संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापको के द्वारा बिना विधायक की अनुमति के बैठक आयोजित कर उसकी कार्यवाही की प्रति अनुमोदन हेतु भेज दिया जाता है। साथ ही विकास मद में उपलब्ध राशि का बिना अनुमोदन के ही मनमाने ढंग से व्यय किया जाता है। अनुरोध किया गया कि इस संबंध में विधायकों को अतिरिक्त विशिष्ट शक्ति प्रदत्त की जाय ताकि विद्यालय पर नियंत्रण बना रहे।

(v) माननीय विधायक के द्वारा अनुरोध किया गया कि निर्माणाधीन एन.एच.–77 को शीघ्र पूरा कराया जाय।

(vi) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले में सरकारी जमीन के घोटाले का कार्य बड़े पैमाने पर हो रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में जिला परिषद् के द्वारा लगभग पांच एकड़ जमीन को जिला परिषद् अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों की मिलीभगत से कौड़ी के भाव में अवैध रूप से बंदरवांट कर दिया गया है। उनके द्वारा इसके संबंध में जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि खास महाल की जमीन को जिला परिषद् से लीज के रूप में प्राप्त कर उस पर मिनाक्षी इंटरनेशनल होटल अवैध रूप से बना लिया गया है। इस संबंध में विधान सभा में प्रश्न उठाये जाने के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के द्वारा कार्रवाई हेतु आदेश दिये जाने के उपरांत भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जिला परिषद् के अध्यक्ष के आवासीय जमीन के सामने विद्यालय का निर्माण एवं उप विकास आयुक्त के आवास के सामने भी होटल का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार सरकारी जमीन की कई प्रकार

[illegible] किया गया है [illegible] हेतु आवश्यक [illegible] जाए।

(vii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंदरा के निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, लेकिन अब तक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य नहीं हो सका है।

(viii) माननीय स0वि0स0 द्वारा बताया गया है कि मेरे गायघाट विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बहुत से टोलों में संपर्क पथ नहीं होने के कारण वहां के लोगों को मुख्य सड़क पर आने के लिए पगडण्डी हो कर आना पड़ता है । अतः इन सभी टोलों को रास्ता देने हेतु जमीन अधिग्रहण कर सम्पर्क पथ बनाने की मांग करने का अनुरोध किया गया ।

(घ) श्री अशोक कुमार चौधरी, माननीय विधायक, कांटी –

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि कांटी विधान सभा क्षेत्र में ब्रह्मपुरा से लेकर देवरिया पी.डब्लू.डी. की पथ की स्थिति काफी जर्जर है। उक्त पथ की मरम्मति एवं चौड़ीकरण कराने की आवश्यकता है।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि कांटी प्रखंड तथा मीनापुर प्रखंड के बीच में कलवाड़ी घाट पर पुल निर्माण कराया जाय ताकि दोनों प्रखंड के लोगों को आवाजाही में सुविधा हो सके।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि कांटी प्रखंड में भूमिहीन व्यक्तियों को दिये गये बासगीत पर्चा को स्थानीय दबंगों के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है और गरीब लोग पर्चा लिये घूम रहे हैं और अपने जमीन से वंचित हैं। पर्चाधारियों का दखल दिलाया जाए ।

(iv) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि कॉटी और मड़वन प्रखंड के अनेकों गॉवों में बिजली नहीं पहुंचा है । इसे अतिशीघ्र किया जाए ।

(ड.) श्री राज किशोर सिंह, माननीय विधायक, वैशाली –

(i) माननीय विधायक के द्वारा अनुरोध किया गया कि वैशाली को पर्यटन स्थल के रूप में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाय।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि गौरोल प्रखंड अन्तर्गत प्रेमराजी उच्च विद्यालय में पौने सोलह सौ विद्यार्थी हैं तथा मात्र तीन कमरे उपलब्ध हैं। यह भी बताया गया कि प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में कोई भी कमरा उपलब्ध नहीं है तथा क्षतिग्रस्त भवन में विद्यालय का संचालन कराया जा रहा है। विद्यालय भवन निर्माण हेतु एक सैनिक के द्वारा अपना जमीन दान में देने का प्रस्ताव दिया गया है परंतु अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। इसकी जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(iv) वैशाली प्रखंड के अन्तर्गत वैशाली प्रखंड मुख्यालय से सहनी टोला तक सड़क निर्माण ।

(v) गौरोल प्रखंड के अन्तर्गत इनायतनगर पंचायत के चकिया ग्राम में बंद पड़े स्टेट टयूबबेल को चालू करना ।

(vi) [illegible] [illegible] अन्तर्गत असोई [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] के घर से पश्चिम डुमरिया उप शाखा नहर पर टूटे हुए पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण

(vii) वैशाली में स्थित [illegible] उच्च विद्यालय, वैशाली का भवन [illegible] [illegible] एक बड़ी दुर्घटना को आमंत्रित करता है। इसके स्थान पर नये भवन का निर्माण ।

(viii) वैशाली प्रखड के अन्तर्गत लालगंज–सरैया मुख्य मार्ग में खरौना गेट से खरौना पोखर जाने वाली सड़क में सडक के उत्तर नाला का निर्माण ।

(ix) गौरोल प्रखंड अन्तर्गत ग्राम+पंचायत रूलपुर तुर्की में डुमरिया उप शाखा नहर के दूरी बिंदु 27.00 पर टूटे हुएएवं जान–माल पर खतरा बने एक पथीय सेतु के स्थान पर नये पुल का निर्माण ।

(x) वैशाली प्रखंड के अन्तर्गत अमृतपुर पंचायत तथा चकअल्हदाद पंचायत में बद पड़े ट्यूबबेल को चालू कराने का अनुरोध किया ।

(च) श्री उमेश सिंह कुशवाहा, माननीय विधायक, महनार –

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि महनार प्रखंड अंतर्गत 64 बसावट ऐसे हैं जहां पर संपर्क पथ के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे बसावटों में संपर्क पथ हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि युवाओं में खेल–कूद को बढ़ावा देने हेतु महनार प्रखंड के गोरिगामा पंचायत में 20 एकड़ जमीन उपलब्ध है। उक्त खाली जमीन पर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया गया। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि जनदाहा प्रखंड के राम ईश्वरीय उच्च विद्यालय में भी स्टेडियम निर्माण हेतु जमीन उपलब्ध है, वहां भी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि महनार में अम्बेदकर चौक से बजरंगबली चौक के बीच उपरी पुल बनाने की आवश्यकता है।

(iv) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा अंतर्गत (क) मध्य विद्यालय, पानापुर बटेश्वरनाथ (जन्दाहा) (ख) मध्य विद्यालय, भान वोरहॉ (जन्दाहा) (ग) मध्य विद्यालय, डीह बुचौली (जन्दाहा), (घ) मध्य विद्यालय, मानिकपट्टी चार मध्य विद्यालय ऐसे हैं जो उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु सारी अर्हताएं पूरी करते हैं। ऐसे विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(v) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि महनार एवं जनदाहा में किसानों को उनके उत्पाद का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। ऐसे किसानों के उत्पाद को परिरक्षित करने हेतु बहुउद्देशीय शीतगृह के निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।

(vi) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि हाल के दिनों में हाजीपुर में एक प्लास्टिक उद्योग में विद्युत शॉट–सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई थी। आधुनिक सुविधा के अभाव में समय पर आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका जिससे काफी जानमाल की क्षति हुई।

(vii) माननीय [illegible] [illegible] [illegible] के अन्तर्गत मुख्यमंत्री [illegible] 2014–15 में दिये गये आदेश का पालन कराने का अनुरोध किया है।

(viii) वैशाली जिलान्तर्गत महनार एवं जन्दाहा प्रखण्ड में बालक उच्च विद्यालय, महनार एवं राम इश्वरी सिंह उच्च विद्यालय, नरहरपुर, जन्दाहा के विद्यालयों में कमरों का काफी अभाव है जिसके कारण उक्त विद्यालयों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है । अतः उक्त विद्यालयों को आधारभूत संरचना से भवन निर्माण कार्य कराने हेतु अनुमति देने के संबंध में ।

(ix) वैशाली जिलान्तर्गत जन्दाहा एन0एच0–103 गॉधी चौक से शाहपुर पटोरी जाने वाली सड़क की स्थिति काफी जर्जर है । इसे ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग में अधिग्रहण कर निर्माण कार्य कराने के संबंध में ।

(छ) श्री अवधेश सिंह, माननीय विधायक, हाजीपुर –

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर में नमामि गंगे कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई नहीं की जा रही है।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया हाजीपुर शहरी क्षेत्र में जल जमाव की काफी समस्या है। इसके निदान हेतु आवश्यक कार्रवाई करायी जाय।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य सम्पोषित बालिका उच्च विद्यालय, हाजीपुर, टाउन हाई स्कूल हाजीपुर+2, उच्च विद्यालय, मीनापुर राई+2, माना रामेश्वर उच्च विद्यालय चॉदी +2, उच्च विद्यालय सेन्दुआरी +2 कृष्ण कुमारी विद्या मंदिर धरहरा +2 आदि विद्यालय के भवन निर्माण एवं अन्य सुविधाओं हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि ए.सी./डी.सी. बिल के लंबित रहने के कारण विभाग को वापस कर दी गयी और विद्यालय के निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है तथा छात्र –छात्राएं आधारभूत सुविधाओं से वंचित हैं।

(iv) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया हाजीपुर नगर ,क्षेत्र में कूड़ा डंपिंग हेतु कोई स्थल उपलब्ध नहीं है। इसकी व्यवस्था की जाय।

(v) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि पी.डब्लू.डी. की कई सड़कों के बीच में विद्युत पोल के कारण आवागमन में काफी कठिनाई होती है। उनके द्वारा बताया गया कि पी.डब्लू.डी. एवं विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के बीच समन्वय के अभाव के कारण अब तक इन विद्युत पोलों को नहीं हटाया गया है।

(vi) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर–मुजफ्फरपुर एन.एच.–77 का निर्माण कार्य बीच–बीच में अधूरा होने के कारण जाम की समस्या होती है। साथ उक्त पथ के बाईपास में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण मुजफ्फरपुर जाने में जाम की समस्या होती है। ऐसा लगता है कि पथ निर्माण एजेंसी और एन.एच.ए.आई. के बीच समन्वय का अभाव है।

(vii) माननीय स0वि0स0 द्वारा हाजीपुर नगर परिषद् अन्तर्गत वृद्धा पेंशन के लिए बचे लोगों को राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

(viii) वैशाली जिलान्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण [illegible] भगवान महावीर की जन्म भूमि, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, नेपाली छावनी को विकसित करने तथा वैशाली को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का अनुरोध किया गया ।

(ix) हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राज किशोर उच्च विद्यालय दुरुकपुर को +2 में अपग्रेड करने के संबंध में ।

(x) हाजीपुर नगर परिषद् अन्तर्गत वृद्धा पेंशन की कुल स्वीकृत ईकाई– 6195 है । इसमें 5882 लोगों का आधार कार्ड से लिंक हो जाने के बावजूद 4463 लोगों को ही उक्त पेंशन योजना का लाभ मिल पा रहा है । अतः शेष बचे लोगों को भी यथाशीघ्र राशि उपलब्ध करायी जाए ।

(ज) श्री राजकुमार साह, माननीय विधायक, लालगंज –

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा गत बैठक में भी इस बात को रखा गया था कि उनके विधान सभा अंतर्गत कई पथों में लगभग 100 ट्रैक्टर चिमनी का ईंटा एवं झामा रख दिया गया और पूर्व के संवेदक के द्वारा राशि भी ले ली गयी। अनुपालन से संबंधित प्रतिवेदन से माननीय विधायक संतुष्ट नहीं हुए। उनके द्वारा बताया गया कि विभाग से पूछे जाने पर बताया गया कि लालगंज के किसी भी पथ में झामा का प्रयोग नहीं किया गया है। उनके द्वारा इसकी जांच कराये जाने और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का अनुरोध किया गया।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया माननीय विधायक लोगों को उच्च विद्यालय के प्रबंध कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है लेकिन प्रधानाध्यापक के द्वारा अपने स्तर से बैठक कर कार्यवाही की प्रति किसी चपरासी के माध्यम से भेज दिया जाता है। उनके द्वारा अध्यक्ष को शक्ति दिये जाने का अनुरोध किया गया।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा तीन पथों की अनुशंसा निर्माण हेतु की गयी थी लेकिन दो पथ का निर्माण अब तक नहीं किया गया है। उनके द्वारा संबंधित पदाधिकारी को जानकारी भी दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

(iv) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि लालगंज प्रखंड के बगल से गंडक नदी का बांध गुजरता है। वहां से दो किलोमीटर की दूरी पर बसंता घाट है जहां पर दाह–संस्कार किया जाता है तथा वहां पर मेला भी लगता है। उनके द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त घाट तक पथ का निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(v) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि हाजीपुर–लालगंज पथ में रेपुरा ग्राम के पास रोड की स्थिति काफी जर्जर है। उसकी जांच किसी पदाधिकारी से कराते हुए उक्त पथ का निर्माण कार्य कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(vi) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि लगभग 40–50 पेंशनधारियों को विगत दो साल से पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उनके द्वारा इसका निदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

(ङ) श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव माननीय विधायक मीनापुर –

(i) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि विगत बैठक में यह बात उठाया गया था कि मीनापुर प्रखण्ड के नरमा पंचायत अन्तर्गत वार्ड संख्या 12 एवं 13 में लगभग 500 महादलित परिवार रह रहे हैं लेकिन उनके घरों तक पहुंच पथ का अभाव है। स्थानीय दबंग लोगों के द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। इस संबंध में दिये गये जवाब से वे संतुष्ट नहीं हैं।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि मीनापुर विधान सभा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है कुल 53175 परिवारों में से मात्र 23795 परिवारों के घरों में बिजली पहुचाई गई है तथा कुल 29900 परिवारों में अभी तक विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त स्थान पर विद्युतीकरण हेतु श्यामा पॉवर कंपनी को कार्य दिया गया था। सिर्फ पोल तार लगा दिया गया है, परन्तु सभी को बिजली का बिल भेजा जा रहा है। इसकी जांच कराते हुए आवश्यक कार्रवाई कराने का अनुरोध किया गया।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि मीनापुर विधान सभा क्षेत्र के चांदपरना में पुल निर्माण हेतु डी0पी0आर0 तैयार है, परन्तु इसकी स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है। उक्त पुल के बन जाने से लगभग 50 हजार लोग लाभान्वित होंगे।

(iv) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि बागवानी मिशन के अन्तर्गत लाभुकों को 45 हजार में से 33700 रूपये का अनुदान मिलता है। मीनापुर प्रखण्ड सब्जी के उत्पादन में जिले में अग्रणी है। यह भी बताया गया कि भिंडी के बीज का बाजार मूल्य 4500 रूपये है, परन्तु वह बीज अनुदान पर मात्र 10000 रूपये में मिलता है। वहां के किसानों को इसका लाभ दिलाये जाने का अनुरोध किया गया।

(v) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि वर्मी कम्पोस्ट हेतु क्षेत्र में सर्वे का कार्य किया गया, परन्तु अभी तक उसका अधिष्ठापन नहीं किया गया है। किसानों को नाली का कीचड़ पैकेट में भरकर दिया जाता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(vi) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि सड़क किनारे बड़े लोगों की जमीन से होकर रास्ता जाता है। वे लोग नीचे तबके के लोगों को अपने रास्ते से नहीं जाने देते हैं एवं जबरन उनसे 100 रूपये मजदूरी पर काम कराते हैं। इनकार किये जाने पर रास्ते पर चलने से रोका जाता है। ऐसे लोगों को आजादी के लगभग 70 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आजादी नहीं मिल पाई है।

(vii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लगभग 80 वसावट सड़क से अभी भी वंचित हैं। इनमें से 38 पथों को चयनित किया गया है और 19 पथों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है, लेकिन निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया जा सका है। बहुत से ऐसे पथ हैं जिन्हें सैटेलाईट से नहीं देखा जा सका है। ऐसे पथों के निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया गया।

(viii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि [illegible] अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण हेतु घोषणा की गई थी। लेकिन आज तक वहां पर भवन निर्माण हो सका है और न ही किसी चिकित्सक की नियुक्ति हो पाई है। उनके द्वारा उक्त अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराकर प्रारंभ कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(ix) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा अन्तर्गत कई विद्यालय ऐसे हैं जहां विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पायी है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत सारे शिक्षक अपने प्रतिनियुक्ति जिला मुख्यालय में करा लेते हैं, जिसके कारण जिला मुख्यालय के विद्यालयों में एक ही विषय के 10–10 शिक्षक हैं। उनके द्वारा शिक्षकों का प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए विषयवार शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति सभी विद्यालयों में कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(x) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि एस0के0एम0सी0एच0 मेडिकल कॉलेज में लगभग 200 एकड़ जमीन है और आज की तिथि में लगभग 32 एकड़ जमीन पर दूसरे व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और भवन निर्माण भी कराया जा रहा है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि औने–पौने भाव में जमीन को बेचा जा रहा है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि इस संबंध में संज्ञान लें और प्राप्त शिकायत की जांच कराते हुए संबंधित के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई किया जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज की सम्पूर्ण चहारदीवारी कराते हुए कॉलेज की जमीन को सुरक्षित कराने का निदेश दिया गया।

(xi) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनधारियेां को बैंक में जाने में कठिनाई होती है और बहुत सारे बैंक दो मंजिल पर अवस्थित होने के कारण उन्हें जाने में कठिनाई होती है। ऐसे लोगों के लिए आवश्यक व्यवस्था कराने का अनुरोध किया गया।

(xii) माननीय विधायक के द्वारा अनुरोध किया गया कि मीनापुर विधान सभा अन्तर्गत बागमती के पुरानी धार को चालू करवाया जाए। उनके द्वारा बताया गया कि नदी के दूर चले जाने के कारण उद्भव सिंचाई योजना से किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा है। बागमती के पुराने धार को चालू कराये जाने से किसानों को उक्त सिंचाई योजना से काफी लाभ मिलेगा।

(xiii) वर्ष 2017 में आये भीषण बाढ़ में मीनापुर विधानसभा के लोगों को सरकार के तरफ से मिलने वाली सहायता राशि के भुगतान कराने का अनुरोध किया गया।

(ञ) श्री लाल बाबू राम, माननीय विधायक, सकरा –

(i) माननीय विधायक, सकरा द्वारा बताया गया कि उनके विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत सकरा रेफरल अस्पताल में भवन जर्जर होने के कारण स्वास्थ्य कार्यों में काफी कठिनाई होती है। किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के चहारदीवारी के संबंध में सिविल सर्जन से प्रतिवेदन की मांग की गई थी, परन्तु उनके द्वारा विभाग को प्रतिवेदन नहीं भेजा गया, जिसके कारण निर्माण की

[illegible] नहीं मिल सकते हैं [illegible] के लिए भवन निर्माण कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(ii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि सकरा प्रखण्ड के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में 10 किलोमीटर दूरी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जिसके कारण लडकियों को डिग्री प्राप्त करने में काफी कठिनाई होती है। उनके द्वारा उक्त क्षेत्र में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(iii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि सकरा विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति आवासीय विद्यालय का संचालन शहरी क्षेत्र मे किया जा रहा है, जबकि वह मुरौल प्रखण्ड के लिए स्वीकृत है। उक्त विद्यालय का संचालन मुरौल में कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(vi) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि सकरा विधान सभा अन्तर्गत अधिकतर नलकूल बंद पड़े हैं। जिसकी शिकायत विभाग से किये जाने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। उक्त नलकूप को चालू करवाया जाए, जिससे किसानों को पानी मिल सके। उक्त नलकूप के चालू कराये जाने से सकरा विधान सभा में उत्पन्न जल संकट भी दूर हो सकता है।

(vii) माननीय विधायक के द्वारा बताया गया कि कई घाटों पर पुल–पुलियों की आवश्यकता बताते हुए उसका निर्माण कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

(viii) माननीय विधायक के द्वारा सकरा को अनुमंडल बनाये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

(ix) मुख्यमंत्री टोला सम्पर्क योजना के तहत सकरा विधान सभा में एक भी टोला में सम्पर्क पथ नहीं बनाया गया है।

(ट) श्री सुनील कुमार, माननीय विधायक, सीतामढ़ी –

(i) माननीय विधायक, सीतामढ़ी के द्वारा बताया गया कि सीतामढ़ी विधान सभा अंतर्गत नलकूप में नाला निर्माण के अभाव एवं विद्युत दोष के कारण पटवन नहीं हो पा रहा है। उनके द्वारा सभी नलकूपों में नाला निर्माण एवं विद्युत दोष दूर किया जाय ताकि अंतिम छोर तक पटवन का कार्य हो सके और किसानों को इसका लाभ मिल सके।

(ii) माननीय विधायक, सीतामढ़ी के द्वारा लखनदेई नदी के उराही कराये जाने एवं कई स्थानों पर स्लूइस गेट का निर्माण कराते हुए नहर का निर्माण कराकर पटवन की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया।

(iii) माननीय विधायक, सीतामढ़ी के द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के कृषि रोडमैप एवं अन्य सारी योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि डीलर के मिलीभगत से जैविक खेती का लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है और अनुदान की राशि का बंदरवांट हो जाता है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।